राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	220/2017	घनश्याम शर्मा	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर। 2. पुलिस महा निरीक्षक, जयपुर रेंज, जयपुर। 3. पुलिस अधीक्षक, अलवर।
2.	221/2017	इस्राक खान	
3.	224/2017	कमालद्दीन	
4.	225/2017	इश मोहम्मद	

आदेश की दिनांक : 08.04.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 220/2017 घनश्याम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की पदोन्नति हैड कॉस्टेबल से सहायक पुलिस निरीक्षक के पद पर होनी है, उसके लिये प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 के लिये पदोन्नति सम्बन्धी योग्यता परीक्षा की चयन सूची बनाये जाने हेतु बोर्ड गठित किया गया।
3. अपीलार्थी को आयोजित होने वाली योग्यात्मक परीक्षा के लिये अपात्र माना गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी का चयन हैड कॉस्टेबल के पद पर आदेश दिनांक 05.09.2016 से हुआ था, जो वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध हुआ था। इस प्रकार अपीलार्थी की हैड कॉस्टेबल के पद पर सेवा दिनांक 01.04.2013 से गिनी जानी चाहिए थी, जिसके अनुसार अपीलार्थी ने दिनांक 01.04.2016 तक निर्धारित तीन वर्ष की योग्यता का अनुभव प्राप्त कर लिया था। इसके उपरान्त भी अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 की योग्यात्मक परीक्षा से वंचित रखा जा रहा है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी द्वारा निम्न प्रकार से प्रार्थना की गयी है :–

"It is therefore, humbly prayed that in the peculiar facts and circumstances of the case the present Appellant of the appellant may kindly be accepted. The action of the respondents in considering the

candidature of the appellant, not to appear in the Competitive Eligibility Examination for the post of Assistant Sub Inspector of Police may kindly consequently be be declared quashed illegal unjust, and set aside. and The respondents be directed to include the name of the appellant in the list of eligible candidates to be appeared in the promotional eligibility test for the post of ASI to be held in near future. The appellant may kindly be allowed to appear in the said test/ examination compliance to of be the convened in near future vacancy notification in dated 29.09.2016 and if the appellant clear the same the result may also be declared and order of promotion may also kindly be issued in favour of the appellant in case of clearing the Eligibility Competitive Test in compliance of notification vacancy dated 29.09.2016. It is further prayed that in case the appellant clear the written examination than the marks of APA be given deeming the appellant as has been promoted in the year 2013-14 on the post of Head Constable.

Any other order direction or relief which may be deemed fit in the circumstances may also kindly be passed in favour of the appellant pending the disposal of the appeal."

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी दिनांक 1–4–2016 को उपरोक्तानुसार निर्धारित योग्यता/सेवा अवधि पूर्ण नहीं करने पर अपीलार्थी को जिला अलवर की हैड कानि. से सहायक उपनिरीक्षक पद की योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2016–17 में सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि अपीलार्थी की हैड कानि. के पद पर नियमित पदोन्नति दिनांक 5–9–2016 है, जिसके अनुसार दिनांक 1–4–2016 को योग्यात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये पदोन्नति हेतु निर्धारित सेवा अवधि हैड कानि. के पद पर पूर्ण नहीं होती है। महानिदेशक, पुलिस राजस्थान जयपुर के पत्र दिनांक दिनांक 5–4–2017 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 309/98 में श्री गोकुल सिंह बनाम राज्य सरकार एवं रिट याचिका संख्या–16083/2015 श्री देवेन्द्र प्रसाद बनाम राज्य सरकार में निर्णय पारित कर, अनुभव एवं पात्रता की गणना रिक्तियों वर्ष की प्रथम अप्रैल से किये जाने के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये हैं। आदेश दिनांक 5–4–2017 के अनुसार योग्यात्मक परीक्षा में कार्मिकों की योग्यता/पात्रता/अनुभव की गणना रिक्ति वर्ष के प्रथम अप्रैल से ही की जावेगी।

5. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
6. उल्लेखनीय है कि इन अपीलों में अधिकरण द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 21.02.2017 पारित कर अपीलार्थी के सम्बन्ध में वर्ष 2016—17 की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कॉस्टेबल से एएसआई के पद पर पदोन्नति हेतु आयेाजित होने वाली पदोन्नति परीक्षा में अपीलार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गयी थी और अपीलार्थी का परीक्षा परिणाम इस अधिकरण के आगामी आदेश तक शील बन्द लिफाफे में बन्द रखने के आदेश दिये गये थे। इस अपील के प्रस्तुत होने के उपरान्त अपीलार्थी से पदोन्नति परीक्षा के लिये नए सिरे से अनुभव व पात्रता की गणना रिक्ति वर्ष के प्रथम अप्रैल से किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र मांगे गये है और दिनांक 05.05.2017 को पात्रता की सूची जारी कर दी गयी है।
7. उपरोक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए इन समस्त अपीलों में अपीलार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष अपीलार्थीगण को प्राप्त हो चुका है। अतः अपीलें सारहीन हो जाने के कारण खारिज की जाती है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नए सिरे से आयोजित होने वाली योग्यात्मक परीक्षा में पात्रता का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अपीलार्थीगण नए सिरे से अपील प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र रहेंगे।
8. मूल आदेश अपील संख्या 220 / 2017 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपरोक्त वर्णित तालिका में अंकित अन्य समस्त अपीलों में रखी जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)